डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-1176 **New Delhi: 17.11.2021**

श्री नृपेंद्र सिंह
पुत्र स्वर्गीय रामजन्म सिंह
निवासी- ग्राम नगला बुधू
पोस्ट व मौजा रीतौर
तहसील भर्थना, जिला-इटावा
उत्तर प्रदेश-206126
मोबाइल-9759390150

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 28.10.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 01.11.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

डेडीकेटेडफ्रेटकॉरीडोरकॉरपोरषनऑफइण्डियालिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212(A)

Date: 17.11.2021

Jt.General Manager/Admn.(CPIO)
DFCCIL
New Delhi

Sub :- Providing information w.r.t. RTI Application received under the RTI Act 2005.

Ref. :- Your letter no. 2021/HQ/ADMIN/RTI-1176 dtd. 02.11.2021.

In continuation to this office letter of even no. dtd. 08.11.2021, the reply against application of Shri Nripendra Singh S/o Shri Chandrabhan Singh received from Dy. PM/CNB is attached herewith for further action at your end please.

DA: Reply of RTI of Shri Nripendra Singh

(Arun Kumar Adlakha)
Dy. Chief Project Manager/HR
DFCCIL/Tundla

Office Of General Manager/Coord: - 3/20, 3rd Floor, KPS Tower, Mayur Complex, Nagla Padi, Agra-282002
Telefax: 0562-2850325-225, ,E mail; cgmtundla@dfcc.co.in
Website www.dfccil.gov.in

पत्रांकः CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-11/ 29 दिनांकः— 16.11.2021

सेवामें,

महाप्रबन्धक / समन्वय,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषयः—सूचना अधिकार अधिनियम—2005, के अन्तर्गत, ग्राम—रीतौर, तहसील—भरथना, जिला—इटावा की अर्जित भूमि गाटा सं0—135 में श्री नृपेन्द्र सिंह पुत्र स्वः चन्द्रभान सिंह, के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :—1. आवेदक का पत्र 28.10.2021
2. संयुक्त महाप्रबन्धक / एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-1176 Dated 02.11.2021
3. इस कार्यालय का पत्र सं0 CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-11/04 Date 03.11.2021

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत् श्री नृपेन्द्र सिंह पुत्र स्वः चन्द्रभान सिंह निवासी, ग्राम—नगला मोती, मौजा—रीतौर, नगलामोती, मौजा—रीतौर, तह0—भरथना जनपद—इटावा संयुक्त महाप्रबन्धक / एण्डमीन (सी0पीआईओ), नई दिल्ली, को सम्बोधित हैं, संयुक्त महाप्रबन्धक / एण्डमीन (सी0पीआईओ), नई दिल्ली, के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-1176 Dated 02.11.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच0आर0 / टुण्डला की ई—मेल के माध्यम से दिनांक 02.11.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आवेदक द्वारा मांगी सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है:—

1. बिन्दु—1 व 8 के सम्बन्ध में, अपर महाप्रबन्धक(भू—अर्जन) सक्षमप्राधिकारी /जिला रमाबाई नगर विशेष रेल परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर, के किये गये अभिनिर्णय दिनांक 09.09.2010, 26.08.2011 के सम्बन्ध में वांछित सूचना कुल 25 पृष्ठ की है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, प्रति पृष्ठ—2रू0 की दर से कुल धनराशि रू0—50/— (पचास रूपये मात्र) आवदेक सम्बन्धित लोक सूचना प्राधिकारी को जमा कराते हुये प्राप्त कर सकता है। इसके उपरान्त के अधिग्रहण के सम्बन्ध में , जानकारी सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर से प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त जानकारी प्रदान करने हेतु सन्दर्भित पत्र—3 (संलग्न) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर को आवश्यक सूचना प्रदान किये जाने हेतु अग्रसारित किया जा चुकाहैं।

2. बिन्दु—2 में,सन्दर्भित रकबे की आवश्यकता विभाग को प्रतीत नहीं हो रही हैं।

3. बिन्दु—3, 4 व 5 के कम में, सम्बन्धित दस्तावेज के कुल 94+66=160 पृष्ठ हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, प्रति पृष्ठ—2 रूपये की दर से कुल धनराशि रू0—320/— **(तीन सौ बीस रूपये मात्र)** आवदेक द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना प्राधिकारी को जमा कराते हुए प्राप्त कर सकता है।

4. बिन्दु—6 व 7 के अर्न्तगत् प्रस्तर—1 के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी हैं।

5. बिन्दु—9 के सम्बन्ध में, गाटा सं0 135 में घोषित किये गये अभिनिर्णय दिनांक 09.09.2010, रकबा 0.0690 हे0, 26.08.2011 का रकबा 0.0120 हे0, का भौतिक कब्जा किया जा चुका हैं। गाटा सं0 135 में 63 वर्ग मी0 भूमि की सीधी खरीद की प्रकिया में आवेदक के द्वारा किये गये असहयोग के दृष्टिगत् उक्त गाटे में, सीधी खरीद की कोई प्रकिया नहीं की जा रही हैं।

6. बिन्दु–10 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नियमों के अर्न्तगत् कार्यवाही की जा रही हैं। आवदेक किसी भी प्रकार का निर्देश दिये जाने हेतु सक्षम नहीं है।

7. प्रस्तर 1 एवं 3 के अनुसार, आवेदक कुल 25+160=185 पृष्ठों की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रति पृष्ठ–2 रूपये की दर से कुल धनराशि रू0–370/– (तीन सौ सत्तर रूपये मात्र) सम्बन्धित लोक सूचना प्राधिकारी को जमा कराते हुए प्राप्त कर सकता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में स्पष्टीकरण, प्रश्नों के उत्तर इत्यादि की अपेक्षा के साथ ही निर्देश दिये जाने की चेष्टा की गई है, जबकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत् भारतीय नागरिक द्वारा लोक सूचना अधिकारियों से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण, प्रश्नों के उत्तर, इत्यादि की अपेक्षा नहीं कर सकता ना ही लोक सूचना प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है।

अतः उक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

(एच0सी0सिंह)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
कानपुर।

पत्रांक– CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-11/ २२ दि0– 16.11.2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0 आर0 डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टूण्डला।
2–सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर।

(एच0सी0सिंह)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
कानपुर।